न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी0आर0नं0ः–932 / 2021

दाउदनगर थाना कांड संख्या ः–538 / 2021

18.04.2022 ट्रैक्टर निवंधन सं0–BR51G4124 के स्वामी मंजु देवी की ओर से उपस्थिति पत्र के साथ एक आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है । आवेदक की ओर से उक्त वाहन की कागजात की छायाप्रति दाखिल किया गया है ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि उपरोक्त वाहन से सम्बन्धित, खनन विभाग से राजस्व की क्षति के सम्बन्ध में प्रतिवेदन की मॉग किया गया था लेकिन खनन विभाग 2100 C.F.T.का जुर्माना लगाता है, जबकि वाहन पर 100 C.F.T. ही बालू जप्त है ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि बयान में एवं जप्ती सूची में उक्त वाहन पर 100 C.F.T. ही बालू का ही जिक्र है लेकिन बयान के कॉलम–4 में उक्त वाहन पर 2100 C.F.T. बालू बरामदगी का जिक्र है ।

अतः उक्त वाद के अनुसंधानक को निर्देश दिया जाता है कि इस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन 29.04.2022 तक समर्पित करें कि उक्त वाहन पर कितना C.F.T. बालू लदा है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश की छायाप्रति संबंधित थानाध्यक्ष को निर्गत करें ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।